न्यायालय : अपर सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारीः रविकान्त सोनी, (UID NO.RJ00 755)

दांडिक विविध (जमानत) प्रार्थना पत्र संख्याः 59/2026
CNR NO. RJDS01002462026

मजलिश पुत्र छुटमल उम्र 46 साल, निवासी ग्राम छिलौडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला–अलवर (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक, दौसा। .... अप्रार्थी

दांडिक विविध (जमानत) प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 द०प्र०सं० (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019, पुलिस थाना कोतवाली, दौसा से सम्बन्धित सरकार बनाम अजय साहू उर्फ कल्लू वगैरह, अपराध अन्तर्गत धाराः 395, 397, 365, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता, निर्णय दिनांक 28.10.2025 में धारा 173(8) दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत लम्बित अभियुक्त के सम्बन्ध में।

उपस्थितः

1– श्री मौहम्मद आरिफ, श्री मौहम्मद इरशाद व श्री यतेश उपाध्याय– विद्वान अधिवक्तागण– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक– अप्रार्थी राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 11.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त मलजिश की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा उसका जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. दिनांक 06.03.2026 को खारिज किये जाने से व्यथित होकर जरिये अधिवक्ता माननीय सैशन न्यायालय, दौसा में प्रस्तुत किया, जो सुनवाई हेतु बाद अन्तरण इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अंकित है कि उनका यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है व इसके आवा अन्य किसी न्यायालय अथवा राजस्थान उच्च न्यायालय में अन्य कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही लम्बित है।

2. संक्षेप में प्रकरण के सुसँगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी महेन्द्र यादव ने एक तहरीरी रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र थाना कोतवाली, दौसा में इस आशय की पेश की कि दिनाँक 17.07.2019 को सम्मा करीब रात्रि 8.00 बजे, अपने खलासी नीलकंठ ठाकुर के साथ गाडी संख्या जेएच 02 एएच–8433 में राईटवेज ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के द्वारा 1712 कार्टून सरसों का तेल, सूरजमल रामनिवास आँचल मिल् वानी सिलिकेट इन्डस्ट्रीज, जैतपुरा इन्ट्रस्टीयल एरिया जयपुर से भरकर रानीगंज (पश्चिम बंगाल) नए रवाना हुआ था। नेशनल हाईवे नम्बर 8 मनोहरपुर होते हुए करीब 11.45 बजे रात्रि सैंथल पुलिया नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर चढने के लिए सर्विस रोड पर मुडे तभी एक जीप व एक बोलेरो ने उनके ट्रक के आगे लगाकर उन्हें रोका और दोनों में से करीब आठ नौ बदमाश जवान उम्र के उतरे व ट्रेक के दोनों तरफ खिड़कियों के लटक कर मारपीट करने लगे। उसने गाडी भगाने की कोशिश की तो बदमाशों ने

दोनों तरफ से ट्रक की खिडकी खोलकर उन दोनों को दबोच लिए। उन्होने विरोध किया तो उनके साथ जबरदस्त मारपीट की व उनको ट्रक से खींचकर जीप में पटक लिया। उनके मुंह नीचे करके दबा दिए और मारपीट करते हुए सीधे रात भर उधर उधर घुमाते रहे। सुबह करीब 4.30 बजे दिनांक 18.07.19 को बदमाशों ने झाडियों में पटककर मोबाईल छीनकर दोनों की सिम निकालकर उसका मोबाईल वापस दे गए व खलासी का सेमसंग की पैड मोबाईल छीन कर ले गए। गाडी में 42000/– रूपये नकदी, माल की बिल बिल्टी व गाडी के असल कागजात, रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेन्स परमिट, फिटनेस, टैक्स टोकन रखे थे। उसका ड्राईवर लाइसेन्स असल व खलासी का आधार कार्ड असल भी छीन ले गए। वे दोनों बस से थानागाजी थाना पहुंचे। पुलिस को घटना बताई। पुलिस उन्हें लेकर जहां पटका था यहां ले गई। वहां से मालाखेडा ले गई। मालाखेडा के पास उनका ट्रक एक दुकान के पास खड़ा मिला। ट्रक का तिरपाल एक लडका खोल रहा था जो वही था, जिसने बदमाशों के साथ मिलकर सैथल पुलिया दौसा पर उनके साथ मारपीट कर ट्रक छीना था, जिसे पुलिस ने भागते हुए पकड़ा। उससे पुलिस ने नाम पूछा तो उसने अपना नाम अजय साहू बताया। मौके से अजय साहू सहित ट्रक को लेकर मालाखेडा पहुंचे बदमाश आपस में एक दूसरे का नाम मुकेश, हँसा, देवेन्द्र वगैरह कहकर पुकार रहे थे। बदमाशों ने हम जान से मारने की नियत से मारपीट की जिससे उसके माथे पर, आंख पर गम्भीर चोटें आई है। वह उन बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकता है... इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019 अन्तर्गत धारा 395, 397 व 365, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान लम्बित रखते हुए दिनांक 15.10.2019 को अभियुक्तगण अजय उर्फ कल्लू साहू, मुकेश पुत्र सूबेदार तथा मुकेश पुत्र रामसिंह के विरुद्ध धारा 395, 397, 365 एवं 120–बी भारतीय दंड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष प्रस्तुत होन पर प्रकरण सत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर बाद विचारण दिनांक 28.10.2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश होने पर उसके विरूद्ध धारा 395, 397, 365 एवं 120–बी भारतीय दंड संहिता के अपराध प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बहस जमानत आवेदन पत्र उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के तर्क हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूँठा फँसाया गया है। आगे उनका यह भी तर्क रहा है कि कथित घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.07.2019 को अपनी पुत्री साहिस्ता बानो, उम्र 14 वर्ष का इलाज करवाने हेतु आर.एन.एस. मेडिकल कॉलेज एम.बी. सरकारी अस्पताल, उदयपुर राजस्थान ट्रेन से गया और उसके इलाज में व्यक्त रहा व दिनांक 18.07.2019 की रात्रि को वापिस लौटा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई अपराध नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड़ की सजा का प्रावधान हो।

6. इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त मुकदमे में अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश हो चुका है, जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है, जिनसे उसका केस भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः निवेदन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ट्रक चालक के अपहरण, डकैती व लूट का गम्भीर अपराध का आरोप है एवं अभियुक्त कई वर्षों तक प्रकरण में फरार रहा है। अतःप्रार्थी/अभियुक्त का जमानत

प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व का कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया।

8. उभय पक्षों के तर्को पर गौर कर पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी महेन्द्र यादव द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 395, 397, 365 एवं 120–बी भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान लम्बित रखते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र पेश हुआ, जिन्हें न्यायालय द्वारा बाद विचारण दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध प्रमाणित मानते हुए उसे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसके विचारण में अभी समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसँगत प्रतीत होता है।

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त मजलिश पुत्र छुटमल उम्र 46 साल, निवासी ग्राम छिलौडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला–अलवर (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् विद्वान विचारण न्यायालय की सन्तुष्टिप्रद **पचास हजार रुपये का स्वयं का बंधपत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो मौतबीर जमानतें** पेश कर तस्दीक करा दे तथा वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर छोड़ दिया जावे। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त 483 BNSS के तहत जमानत की निम्नलिखित सामान्य शर्तों की पालना के सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश करेगा कि–

1– प्रार्थी/अभियुक्त चालान पेश होने की सूरत में मुकदमे की हर सुनवाई (Hearing) पर अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा।
2– प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस/अन्वेषण एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होगा और अन्वेषण में पूरा सहयोग करेगा।
3– प्रार्थी/अभियुक्त अपना रिहायशी पता बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं बदलेगा और यदि पता बदलना अनिवार्य हो, तो कोर्ट को पहले सूचित करेगा।
4– प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो अभियोजन उसकी जमानत निरस्त करवाने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

10. आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(रविकान्त सोनी)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दौसा

11. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविकान्त सोनी)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दौसा